

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/वि.जांच/2019/

दिनांक :

विभागीय जांच प्रमाण पत्र

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/(4124)/2015/451 दिनांक 18.03.2015 के द्वारा श्री कजोडी लाल बैरवा, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकलेरा, झालावाड के विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित होने के आदेश जारी किये गये थे।

शासन उप सचिव, कार्मिक(क-3) के आदेश क्रमांक प1(002)/कार्मिक(क-3/जाच)/2008 जयपुर के आदेश दिनांक 18.04.2016 के द्वारा कार्मिक के विरुद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के राजस्थान पेशन नियम 1996 के नियम 7 के अन्तर्गत देय पेशन राशि का 25 प्रतिशत भाग तीन वर्ष के लिए रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर प्रकरण का निरन्तरण किया जा चुका है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि श्री कजोडी लाल बैरवा, कनिष्ठ सहायक (से नि) के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 06/08/19

क्रमांक :- ई-18/एम/वि.जांच/2019/1611

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स वेल्फेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड को उनके पत्र क्रमांक 865-67 दिनांक 26.06.2019 के क्रम में लेख है कि कर्मचारी का प्रकरण कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प.1(002)/कार्मिक(क-3/जाच)/2008 जयपुर के आदेश दिनांक 18.04.2016 के द्वारा प्रकरण निरन्तरण किया जा चुका था। अतः इस सम्बन्ध में अवगत करावें कि आप द्वारा किन कारणों से विभागीय जांच विचाराधीन/प्रस्तावित के प्रमाण पत्र हेतु प्रकरण विलम्ब से भिजवाया गया।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकलेरा, झालावाड।
4. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित (सीबी) अनुभाग, मुख्यालय।
5. श्री कजोडी लाल बैरवा, कनिष्ठ सहायक (से नि) को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर